| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 4, Issue 3, March 2021 |

ट्रांसजेंडर्स-सामाजिक सुरक्षा और अधिकार

Dr. Manju Navriya

Associate Professor in Sociology, S. P.N.K.S. Govt. P.G. College, Dausa, Rajasthan, India

सार(Abstract):

साल 2014 में भारत सरकार की संस्था नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और भारत सरकार के बीच हुए एक मुकदमे का फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर माना. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि ट्रांसजेंडर को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में रखा जाए और इसके लाभ उन्हें दिए जाएं. इस फैसले के बाद तमिलनाडु से डीएमके पार्टी के राज्यसभा सांसद तिरुची शिव ने सदन में ट्रांसजेंडरों के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने शिव के बिल पर कहा कि सरकार इस मुद्दे पर नीति बना रही है. इसलिए इस बिल को वो वापस ले लें लेकिन ऐसा शिव ने ऐसा नहीं किया और ये प्राइवेट बिल अप्रैल 2015 में राज्यसभा से पास हो गया.

लोकसभा में तत्कालीन बीजेडी सांसद बैजयंत पांडा ने यह प्राइवेट बिल पेश किया. वहां इस बिल को सरकार ने टेक ओवर कर लिया. इस बिल को संसद की स्टैंडिंग समिति को भेज दिया गया. इस समिति ने बिल में कई बदलाव सुझाए. इनमें से 27 बदलावों को सरकार ने माना और दिसंबर 2018 में यह बिल लोकसभा में पास हो गया. हालांकि लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने तक यह राज्यसभा में पेश नहीं हो सका और बिल अमान्य हो गया.

सामाजिक ढांचे में जेंडर या लैंगिक पहचान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. इस पहचान को सामाजिक मान्यताओं ने दिनों- दिन पुख्ता किया और समाज जेंडर को स्त्री-पुरुष की 'बाइनरी' में ही देखने व समझने का अभ्यस्त हो गया. इस अभ्यास के कारण ही समाज में थर्ड जेंडर को लेकर जो धारणा बनी वह उनकी पहचान पर भी संकट पैदा करने वाली थी क्योंकि वह प्रचलित बाइनरी से बाहर थे. इस पहचान को लेकर थर्ड जेंडर समुदाय लम्बे समय से संघर्ष कर रहा था. यह संघर्ष सामाजिक और संवैधानिक दोनों स्तरों पर चल रहा था. पहचान के लिए समाज की स्वीकृति और संवैधानिक मान्यता दोनों बहुत जरुरी थे. यह 'मैं भी हूँ' की लड़ाई थी जिसे कम ही लोगों ने समझा लेकिन 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले ने थर्ड जेंडर को संवैधानिक अधिकार दे दिए और सरकार को निर्देशित किया कि वह इन अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करे. उसके बाद 5 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद थर्ड जेंडर के अधिकारों को क़ानूनी मान्यता मिल गई.

हाल में थर्ड जेंडर के अधिकारों का सवाल चर्चा में फिर से तब आया जब उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने थर्ड जेंडर को संपत्ति में अधिकार देने के कानून को मंजूरी दे दी. इससे पैतृक संपत्ति में उनको भी हक़ मिलेगा. यह एक तरह से कानूनी एवं सामाजिक मान्यता के लिहाज से महत्वपूर्ण फैसला है.

I. परिचय(Introduction)

उत्तर प्रदेश सरकार ने थर्ड जेंडर के व्यक्ति को भूमि पर हिस्सेदार के तौर पर परिवार के सदस्य के रूप में शामिल करते हुए उसे भूमि पर अधिकार व उत्तराधिकार देने के मकसद से राजस्व संहिता की धारा-4(10), 108(2) 109 और 110 में संशोधन प्रस्तावित किया. इससे पहले तक सिर्फ स्त्री और पुरुष को ही संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त था. अब इसका विस्तार थर्ड जेंडर तक कर दिया गया है. इससे थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर सुरक्षा तो मिलेगी ही साथ में उनकी पहचान को सामाजिक स्वीकृति मिल सकती है. अब तक परिवार जिन्हें स्वयं की पहचान से भी अलग करता रहा उन्हें संपति में अधिकार मिलने से संभवतः पारिवारिक एवं सामाजिक सोच में थोड़ा बहुत परिवर्तन आए लेकिन यह फैसला परिवार की सोच में परिवर्तन से ज्यादा थर्ड जेंडर समुदाय के हक़ एवं पहचान के लिए महत्वपूर्ण है. वह अब उस संपत्ति के हकदार हैं जिसका उनको होना चाहिए था. सिर्फ अलग लैंगिक पहचान होने के कारण उन्हें इससे वंचित रखा गया.[1]

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित और संसोधित कानून भी ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति को क़ानूनी तौर पर मजबूत करेगा लेकिन यह सामाजिक संरचना में इतना आसान भी नहीं लगता है. कानून की स्वीकृति के साथ समाज की स्वीकृति भी जरुरी है और सामाजिक एवं पारिवारिक ताना-बाना इसे स्वीकृत करेगा, यह संदेह के घेरे में है.केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों के बाद सवाल समाज पर है. स्त्री-पुरुष की तरह ट्रांसजेंडर समुदाय को अलग पहचान तो मिल गई. सरकारों ने भी कानून बना दिए हैं लेकिन क्या समाज का नजरिया बदलेगा ? समाज से पहले क्या परिवार उनको स्वीकार करेगा ? कानून के बाद भी क्या परिवार उनके साथ व्यावहारिक तरीके से संपत्ति साझा करेगा ? क्या उनके साथ होने वाला भेद-भाव खत्म होगा ? कानून से पहचान तो मिल गई लेकिन क्या परिवार एवं समाज की स्वीकृति भी मिल जाएगी ! इन सवालों और समस्याओं से ट्रांसजेंडर समुदाय को अभी गुजरना होगा. इस भेद-भाव को मिटाने और नजरिए में बदलाव के लिए कई स्तरों पर प्रयास भी हो रहे हैं. इसी वर्ष जुलाई में नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) ने सामाजिक नजरिए में बदलाव की दृष्टि से अहम कदम उठाया है. एनएमआरसी ने एक्का

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 4, Issue 3, March 2021 |

लाइन के सेक्टर-50 के मेट्रो स्टेशन को ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित कर दिया. इस स्टेशन का नाम अब "रेनबो स्टेशन" होगा और इस स्टेशन पर काम करने वाले लोगों में भी ट्रांसजेंडर को वरीयता दी जाएगी. सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने के प्रयास स्वरूप यह एक महत्वपूर्ण पहल है. इससे वह अलगाव भी कम होगा जो अभी तक बना हुआ है. इस समान भागीदारी से बहुत ज्यादा न सही लेकिन बहुत कुछ बदलेगा. जरूरत सामाजिक स्तर पर नजरिए के बदलाव की है. सामाजिक संरचना में जब तक उनकी उपेक्षा होती रहेगी तब तक क़ानूनी अधिकार खोखले ही रह जाएंगे. अब जरुरी है कि समान अधिकारों के साथ समाज की समान नजर भी हो जाए, तभी बदलाव आएगा. कानून एक अहम पहलू है लेकिन समाज की नजर का बदलना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है. सिर्फ अलग लैंगिक पहचान के कारण मनुष्य की उपेक्षा अपने आप में अमानुषिक है. इसलिए कानून पारित हो जाने भर से संघर्ष खत्म नहीं होता बल्कि यहीं से सामाजिक स्वीकृति का नया संघर्ष आरम्भ होता है.[2]

II. चर्चा (Discussion)

यह सरकार के साथ-साथ निजी संस्थाओं को भी रोजगार के मामलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने से रोकती है, जिसमें भर्ती और पदोन्नति भी शामिल है और यह कि हर प्रतिष्ठान को अधिनियम के संबंध में शिकायतों से निपटने के लिए एक व्यक्ति को एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता होती है.

यह विधेयक हर ट्रांसजेंडर को अपने घर में रहने और किसी को रखने का अधिकार रखने की सुविधा भी देता है. विधेयक में उल्लेख किया गया है कि अगर ट्रांसजेंडर का परिवार उसकी देखभाल करने में असमर्थ है तो सक्षम न्यायालय के आदेश पर उसे पुनर्वास केंद्र में रखा जा सकता है.

ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में खोला जाएगा ताकि अपने सदस्यों को कक्षा एक से पीजी तक सही अध्ययन करने और यहां तक कि शोध करने और पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने की सुविधा मिल सके।

"यह देश में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा जहाँ ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। अगले साल 15 जनवरी से समुदाय के सदस्यों द्वारा लाए गए दो बच्चों को इसमें प्रवेश मिलेगा। फरवरी और मार्च से अन्य कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।"

ट्रांसजेंडर (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक, 2019 को लोकसभा में 19 जुलाई, 2019 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा पेश किया गया था। इस बिल को 5 अगस्त, 2019 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था जिसके बाद 26 नवंबर, 2019 को ट्रांसजेंडर (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी थी। हालांकि विपक्ष समेत कई संगठनों ने इसको लेकर विरोध जताया था। [3]

विधेयक एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जिसमें सेवा से इनकार करना या उसके संबंध में अनुचित व्यवहार शामिल है: (i) शिक्षा; (ii) रोजगार; (iii) स्वास्थ्य सेवा; (iv) जनता के लिए उपलब्ध वस्तुओं, सुविधाओं, अवसरों का आनंद, या प्राप्त करना; (v) आवागमन का अधिकार; (vi) संपत्ति पर निवास, किराए, या अन्यथा कब्जे का अधिकार; (vii) सार्वजनिक या निजी कार्यालय रखने का अवसर; और (viii) एक सरकारी या निजी प्रतिष्ठान तक पहुँच जिसकी देखभाल या हिरासत में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो।

निवास का अधिकार- प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने घर में निवास करने और शामिल होने का अधिकार होगा। यदि तत्काल परिवार ट्रांसजेंडर व्यक्ति की देखभाल करने में असमर्थ है, तो सक्षम न्यायालय के आदेश पर व्यक्ति को पुनर्वास केंद्र में रखा जा सकता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति को रोजगार कोई भी सरकारी या निजी संस्था रोजगार के मामलों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है, जिसमें भर्ती और पदोन्नति शामिल है। प्रत्येक प्रतिष्ठान को अधिनियम के संबंध में शिकायतों से निपटने के लिए एक व्यक्ति को एक शिकायत अधिकारी होने के लिए नामित करना आवश्यक है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति को रोजगार - कोई भी सरकारी या निजी संस्था रोजगार के मामलों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है, जिसमें भर्ती और पदोन्नति शामिल है। प्रत्येक प्रतिष्ठान को अधिनियम के संबंध में शिकायतों से निपटने के लिए एक व्यक्ति को एक शिकायत अधिकारी होने के लिए नामित करना आवश्यक है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति को शिक्षा- प्रासंगिक सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान, बिना भेदभाव के, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा, खेल और मनोरंजक सुविधाएं प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय कुशीनगर जिले में शुरू करने की घोषणा कर ही दी है। इस विश्वविद्यालय में आगामी 15 जनवरी से प्रवेश शुरू हो जाएंगे।

ट्रांसजेंडर्स को स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं- सरकार को अलग-अलग एचआईवी निगरानी केंद्रों और लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए। सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य के मुद्दों को हल करने के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी, और उनके लिए व्यापक चिकित्सा बीमा योजनाएं प्रदान

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 4, Issue 3, March 2021 |

करेगी।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए पहचान का प्रमाण पत्र- एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति पहचान के प्रमाण पत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट को एक आवेदन कर सकता है, जो लिंग को 'ट्रांसजेंडर' के रूप में दर्शाता है। एक संशोधित प्रमाण पत्र केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब व्यक्ति अपने लिंग को पुरुष या महिला के रूप में बदलने के लिए सर्जरी करता है।

सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय ट्रांसजेंडर- (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक, 2019 में कहा गया है कि संबंधित सरकार समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पूर्ण समावेश और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी। यह उनके बचाव और पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए भी कदम उठाने चाहिए, ऐसी योजनाएं बनाएं जो ट्रांसजेंडर संवेदनशील हों और सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दें।

अपराध और दंड विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ निम्नलिखित अपराधों को मान्यता देता है: (i) जबरन या बंधुआ मजदूरी (सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सरकारी सेवा को छोड़कर), (ii) सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से इनकार, (iii) घरेलू और गाँव से हटाना, (iv) शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक दुरुपयोग। इन अपराधों के लिए जुर्माना छह महीने और दो साल के बीच, और जुर्माना।[4]

III. निष्कर्ष (Conclusion)

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCT) National Council for Transgender persons (NCT) में शामिल होंगे: (i) केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री (अध्यक्ष); (ii) सामाजिक न्याय राज्य मंत्री (उपाध्यक्ष); (iii) सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव; (iv) स्वास्थ्य, गृह मामले और मानव संसाधन विकास सहित मंत्रालयों का एक प्रतिनिधि। अन्य सदस्यों में NITI Aayog, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि शामिल हैं। राज्य सरकारों का भी प्रतिनिधित्व किया जाएगा। परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय के पांच सदस्य और गैर-सरकारी संगठनों के पांच विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

यह परिषद केंद्र सरकार को सलाह देने के साथ-साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कानून और परियोजनाओं के प्रभाव की निगरानी करेगी। यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण भी करेगा।[5]

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मैनुअल में किए बदलाव आपको बता दें कि विज्ञान और चिकित्सा में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रतिबिंबित करने के लिए, इसी साल 25 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने निदान के अपने आधिकारिक मैनुअल से तथाकथित "लिंग पहचान विकार" को हटा दिया है, जिसे ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, "इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ़ डिसीज़ (ICD-11) के अद्यतन में लैंगिक पहचान विकार, या लैंगिकता के संदर्भ में, ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान करना, एक "मानसिक विकार" नहीं है।"

"ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी हक है समाज में सर उठाकर जीने का। उनके लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोलना वाकई सीएम योगी की सराहनीय पहल है। इससे उनकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा। इस समुदाय से भी अब बहुत से लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेंगे। अब इनके प्रति समाज में लोगों का नजरिया बदलेगा"

प्रतिक्रिया दें संदर्भ (References)

1. ओ ड्रेशर जे, ओ कोहेन-केटेनिस पी, ओ विंटर एस
शरीर को बांधना: आईसीडी -11 में लिंग पहचान का पता लगाना।इंट रे मनोरोग। 2012; 24: 568-577
2. ट्रांसजेंडर हेल्थ के लिए वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन
ट्रांससेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और जेंडर नॉनफॉर्मफॉर्मिंग लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के मानक। WPATH, Minneapolis2012
3. डायमंड एम, मानव प्रतिच्छेदन: अंतर या विकार ?.
आर्क सेक्स Behavl 2009; 38: 172
4. लियाओ LM, ऑडी एल, मैग्रीट ई, मेयर-बाह्लबर्ग एचएफ, क्विगली सी.ए. लिंग पहचान के निर्धारक कारक: एक टिप्पणी।जे पीडियाट्रार यूरोल। 2012; 8: 597-601
5. मुराद एम, एलमिन एम, गार्सिया एम, और अन्य। हार्मोनल थेरेपी और सेक्स पुनर्मूल्यांकन: एक व्यवस्थित समीक्षा और जीवन की गुणवत्ता और मनोसामाजिक परिणामों का मेटा-विश्लेषण। *Clin Endocrinol.* 2010; 72: 214-231